उत्तर प्रदेश मालगुजारी उपबन्ध (रामपुर को बिस्तारण) अधिनियम, 1969

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 5, 1969)

[राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 4 फरवरी, 1969 को अपनी अनुमति प्रदान की और वह उसी दिनांक के भारत सरकार के असाधारण गजट तथा उत्तर प्रदेश के सरकारी असाधारण गजट दोनों में प्रकाशित हुआ ।]

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के कतिपय उपबन्धों का विस्तार रामपुर को करने के लिए तथा कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्यता देने के लिए

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन), अधिनियम,
968 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति निम्नलिखित
7 अधिनियमित करते हैं:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी उपबन्ध (रामपुर को विस्तारण) अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा । संक्षिप्त नाम

2--(1) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध, और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम जहां तक कि वे उस अध्याय से सम्बद्ध हैं, जून, 1965 के अट्ठारहवें दिन को और से रामपुर के उन क्षेत्रों में जिनमें उस तारीख के पूर्व कानून मालगुजारी आराजी रियासत रामपुर, 1932 (जिसे इसमें इसके पश्चात् रामपुर अधिनियम कहा गया है) प्रवृत्त था, विस्तृत किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे । विस्तारण और विधिमान्यता

०पी० ऐक्ट 3, 901

(२) मालगुजारी की या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूलीय किसी राशि की वसूली के लिए रामपुर के कलेक्टर द्वारा या किसी अन्य आफिसर या प्राधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर द्वारा, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें रामपुर अधिनियम प्रवृत्त हो, की गई कोई बात या कोई कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत पारित आदेश, की गई नियुक्ति, की गई कार्यवाही, निकाला गया निदेश या आदेशिका अथवा प्रयुक्त अधिकारिता आते हैं), ऐसे ही विधिमान्य अथवा वैध रूप से की हुई या की गई समझी जाएंगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित रामपुर अधिनियम के उपबन्ध उन सभी तात्विक समयों पर जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी प्रवृत्त थे ।

(३) "रामपुर" के अर्थ वही होंगे जो उसे रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, 1949 में दिये गये हैं ।

३--कानून मालगुजारी आराजी रियासत रामपुर, 1932 के अध्याय 8 के उपबन्ध जून, 1965 के अट्ठारहवें दिन को और से निरसित हो जाएंगे।" निरसन

[अधिनियमित किए जाने के कारण के लिए कृपया दिनांक 4 फरवरी, 1969 के भारत सरकार के असाधारण गजट तथा उत्तर प्रदेश के सरकारी असाधारण गजट देखिए ।]

०. एस० यू० पी०--ए० पी० ५८ जनरल (लेग.)--१९६९--१,८०५ (बे) ।